देश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
25.11.2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **अधिग्रहण वाद सं0 01/2014** **सरकार (मार्फत अनुमंडल पदाधिकारी, सदर)** **बनाम** **बीरेन्द्र प्रसाद, चन्दन पासवान, भगवान सिंह, टुनटुन गिरी** **आदेश** यह अधिग्रहण वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के पत्रांक 47/मुख्य दिनांक 13.12.13 के द्वारा समर्पित प्रस्ताव के आलोक में आरंभ किया गया। इस वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, लहलादपुर एवं प्रखड आपूर्ति पदाधिकारी, लहलादपुर के द्वारा दिनांक 6.12.13 को की गयी संयुक्त रूप से छापामारी में लहलादपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम सिरिसतापुर स्थित रामचन्द्र यादव के मकान के सामने दक्षिण तरफ ग्रामीण ईंट सोलिंग सड़क पर ट्रक सं0 यू.पी. 52बी. 7661 पर लदा हुआ 168 बोरी सरकारी बोरी में प्रति बोरी 50 किलो यानी कुल 84 क्विंटल गेहूँ एंवं 84 बोरी प्रति बोरी 50 किलो यानी 42 क्विंटल चावल एवं 145 जूट की खाली बोरी जप्त की गयी। बीरेन्द्र पासवान, पिता–स्व0 रामसेवक प्रसाद, सा0–पुरानी बाजार, महाराजगंज, चन्दन पासवान, पिता–स्व0 धुरंधर पासवान, ग्राम–सिंहौता, थाना–महराजगंज, भगवान सिंह, पिता–धेनुक धारी सिंह, ग्राम–वैदापुर विषुणपुरा, थाना–दुरौंधा, जिला–सीवान एवं टुनटुन गिरि, पिता– ढेला गिरी, ग्राम–भिखारी पुर, थाना–दुरौंधा, जिला–सीवान के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 07 के तहत जनता बाजार थाना में कांड सं0 117/13 दिनांक 7.12.13 दर्ज किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के पत्रांक 47/मुख्य दिनांक 13.12.13 के द्वारा जप्त खाद्यान्न एवं जप्त वाहन के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव प्रेषित	

किया गया, जिसके आलोक में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 6.1.14 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को आदेश दिया गया कि वे यदि किसी व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल न हो, तो जप्त खाद्यान्न को जप्ती सूची के अनुसार डाक के द्वारा विक्री कराकर विक्रय राशि को जिला कोषागार में उचित शीर्ष में जमा कराकर अनुपालन प्रतिवेदन 23.1.14 तक भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही विपक्षी के नाम से भी नोटिस निर्गत करने का आदेश दिया गया, जिसके आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 3 प्रोसेस दिनांक 21.1.14 के द्वारा सभी विपक्षियों को नाटिस निर्गत किया गया, जिसके आलोक में खाद्यान्न विमुक्ति हेतु एवं वाहन विमुक्ति हेतु अलग–अलग विपक्षियों का जवाब प्राप्त है।

वाहन मालिक के द्वारा दिए गए जवाब एवं सी.डब्ल्यू.जे.सी. नं0 1856/14 में पारित आदेश 25.3.14 के आलोक में इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 10.7.14 को सुनवाई करके जप्त ट्रक सं0 यू.पी.52बी–7661 की विमुक्ति हेतु आदेश पारित किया जा चुका है। तत्पश्चात् वरीय उप समाहर्त्ता, जिला विधि शाखा, सारण के द्वारा ज्ञापांक 890 दिनांक 30.8.14 के द्वारा प्राप्त कागजातों की समीक्षा के पश्चात् वाहन विमुक्ति आदेश भी निर्गत किया जा चुका है।

जप्त खाद्यान्न के दावाकर्त्ता के द्वारा खाद्यान्न विमुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी.डब्ल्यू.जे.सी. 2034/14 दायर किया गया, जिसमें 6.3.14 को विधि–सम्मत् आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया।

विपक्षी वीरेन्द्र प्रसाद अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जप्त खाद्यान्न उनके द्वारा विभिन्न गॉवों के किसानों से खरीदा गया था एवं उन्हें कुछ लाभ पर छपरा बाजार में ले जाकर बेचा जाता है। जहॉ तक सरकारी मार्का के साथ खाली बोरों की बात है, उस बिन्दू पर कहना है कि खुले बाजार में इन बोरों की बिक्री की जाती है, जिन्हें कोई भी क्रय कर सकता है। जप्ती सामग्री जो कि चावल और गेहूँ है वह एक गैर नियंत्रित सामग्री है, जिसके व्यापार के लिए किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है। अतः उनके द्वारा जप्त खाद्यान्न को विमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 6.1.2014 के आलोक में जप्त खाद्यान्न की डाक के द्वारा बिक्री कराकर विक्रय राशि को जिला कोषागार में उचित शीर्ष में जमा कराते हुए

अपने पत्रांक 396 दिनांक 3.9.14 के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।

विपक्षियों को सुनने, उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का अवलोकन करने एवं अभिलेख के परिसीलनोपरान्त स्पष्ट है कि जनता बाजार थाना कांड सं0 117/13 से संबंधित विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, सारण, छपरा के न्यायालय में दाखिल विचारण संख्या 2392/14 में पारित आदेश दिनांक 23.5.14 में अंकित है कि उक्त थाना कांड में नामजद अभियुक्तों के विरूद्व लगाए गए आरोप सिद्व नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है।

विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, सारण, छपरा के उक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को निर्देश है कि अपने पत्रांक 396 दिनांक 3.9.14 के द्वारा प्रेषित अनुपालन प्रतिवेदन में अंकित खाद्यान्न की विकय राशि को उचित रीति से उचित पहचान पर विपक्षी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

वाद निष्पादित

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1039 दिनांक 17/12/14

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण।